बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

अधिसूचना -1845/रा०

15/डी0 एल0 ए0–कैमूर (आवास)–2/13 / पटना, दिनांक 18-07-13/

संख्याः-

रा०-चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गॉव **सिकठी** परगना- **चैनपुर** थाना नं०- **498** थाना-. **भभुआ** जिला- **कैमूर** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात- **जिला पदाधिकारी के आवास** निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित हैं, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव- **सिकठी** थाना नं०- **498** के भीतर भूकि का एक टुकड़ा अपेक्षित, जो मानक माप के कम-वेश- **12.24 एकड** होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है- **अंश खेसरा नं०. 2158, 2159, 2165, 2168, 2171, 2172, 2193, 2192, 2191, 2189, 2187, 2185, 2196 पूर्ण खेसरा 2166, 2167, 2186, 2195, 2194, 2261, 2263, 2262, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268.**

तथा जिसकी चौहद्दी भिन्न प्रकार से है:---

उत्तरः- **अंश खेसरा नं० 2158, 2196, पूर्ण खेसरा 2260**

पूरबः- **सिवाना बबुरा नं० 496**

दक्षिणः- **सिवाना बबुरा नं० 496**

पश्चिमः- **अंश खेसरा नं० 2185, 2187, 2189, 2191, 2192, 2193, 2172, 2171, 2168, 2165, 2159**

यह अधिसूचना अधिनियम, 1,1894 की धारा -4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन्1961, संशोधित अधिनियम -1984) उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, **कैमूर (भभुआ** में देखा जा सकेगा बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकरी, **कैमूर** .और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में।

तत्समण लगे **अधियाची विभाग** के पदाधिकरियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबंधित या विनिदिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राध्कृित करते है।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5ए के उपबन्ध लागू नहीं होतेः-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अवर सचिव।

12.07.13 — **जिला भूमि अर्जन पदा०** | 12/7/13 — **अपर समाहर्त्ता** | **समाहर्त्ता**

ज्ञापांक -1845/रा०/ **डी०एल०ए०,** **दिनांक** 18-07-13/

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण को जिला भूमि अर्जन कार्यालय,. **कैमूर** एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2-प्रतिलिपिः- उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाख, **कैमूर (भभुआ)**को जिला बजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित बजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, **, कैमूर (भभुआ)** को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियों में भेजने के लिये।

3-प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, **, कैमूर (भभुआ)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/13

सरकार के अवर सचिव।